

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 12/2025 - संघ राज्य कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 17 सितंबर, 2025

सा.का.नि.....(अ).- संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 8 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 8/2018-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 25 जनवरी, 2018, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 90(अ), दिनांक 25 जनवरी, 2018 के तहत प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, "अधिसूचना सं. 1/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) की अनुसूची IV" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "अधिसूचना सं. 9/2025-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) की अनुसूची II या अनुसूची III " को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 22 सितंबर, 2025 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190341/188/2025-टीआरयू]

(धीरज शर्मा)

टिप्पणी: मूल अधिसूचना सं. 8/2018-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 25 जनवरी, 2018 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 90(अ), दिनांक 25 जनवरी, 2018 के तहत प्रकाशित किया गया था और अंतिम बार अधिसूचना सं. 04/2025-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 16 जनवरी, 2025 द्वारा संशोधित किया गया था, जिसे सा.का.नि. 60(अ), दिनांक 16 जनवरी, 2025 के तहत प्रकाशित किया गया था।